The Constitution (Amendment) Bill, 2003
(Insertion of New Article 371J)

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY (Karnataka): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Sir, I introduce the Bill.

The Constitution (Amendment) Bill, 2003 (To amend Article 202)

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion wad adopted.

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Dr. T Subbarami Reddy -not present.

Now, we will take up further discussion on the Constitution (Amendment) Bill, 1999. Shri Mool Chand Meena.

The Constitution (Amendment) Bill, 1999 (Inert**ion of New Article 21 A)-contd.**

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, कंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 1999 जो श्री संतोष बागडोदिया जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह एक आवश्यकता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आदमी की एकांतता बहुत आवश्यक है। आज ही नहीं पहले भी आदमी एकांत ही रहना चाहता था। हमारा पौराणिक इतिहास बतलाता है कि वनवास के दौरान रामचंद्र जी भी सीता जी के साथ एकांत वास करते थे। राजा-महाराजा भी अपनी एकांतता सुरक्षित रखते थे। लेकिन आज कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी निर्दोष आदमी को भी, यदि वह दोषी है तब तो उसको गिरफ्तार करें, उसका अखबारों में प्रचार करें वहां तक तो ठीक है, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को केवल एक आंशिक सूचना और संदेह के ऊपर प्रताड़ित करना और यदि वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपनी पत्नी के साथ कमरे में है तो संदिग्ध सूचना के आधार पर हम उसकी पत्नी के सामने उस कमरे में घुस जाएं और उस वक्त कमरे में वह किस अवस्था में होगे इस चीज को वे लोग नहीं सोचते है। ऐसी घटनाएं भी कई बार सामने आती है। इसलिए आंशिक सूचना के आधार पर यदि हम किसी आदमी के खिलाफ कार्रवाई करते है तो निष्पक्ष जाचं होती है उसमें संदेह पैदा हो जाता है और निर्णय

होने से पहले ही आदमी दंडित हो जाता है। इसलिए सूचना मिलने पर पहले उसकी जांच की जाए और जाचं होने के बाद यदि कोई दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते है। तो इस बिल को लाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि आप जगह-जगह जिनी स्वार्थ के लिए और आप देख लीजिए इस देश के अंदर ही। एक कानून के अंदर लालू प्रसाद जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुलायम सिंह जी को छूट दे दी जाती है। आज* के खिलाफ इतना बड़ा काम होने के बाद एक सीबीआई का डायेक्टर, जिनके घर में ऊपर वह रहता हो और उसके नीचे तस्करी का,मादक द्रव्यों का धंधा चलता हो, जो डायेक्टर रहा हो, आज उसको छूट दे दी गयी है, उसको गवाह ही बना लिया गया है।

कृषि और ग्रमीणा उघोग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम):वह डायेक्टर नहीं था।

श्री मूलचन्द मीणा : डिप्टी डायरेक्टर की सही। डायरेक्टर नहीं था ...(व्यवघान).. बड़ा अधिकारी था। लेकिन सीबीआई, जिस पर हम विश्वास करते है और उसका कर्मचारी या अधिकारी अपने घर में ये सब धंधे कराए, यह उसको कौन-सा तोहफा दिया जा रहा है कि आप गवाह ही बन जाइए, आप गिरफ्तार मत होइए?....(**व्यवधान**)..

श्री संघ प्रिय गौतम : यह विषय से संबंधित नहीं है। ...(**व्यवधान**)..

श्री मूलचन्द मीणा : सबजेक्ट पर ही आ रहा हूं। बिना सूचना के लालू प्रसाद यादव को तो गिरफ्तार कर लेते है ....(**व्यवधान**)...

श्री संतोष बागडोदिया (राजस्थान): यह अपनी-अपनी समझ की बात है कि कौन सा सबजैक्ट में है और कौन सा नहीं है।

श्री संघ प्रिय गौतम : आपके विषय से संबंधित नहीं है। ....(**व्यवधान**)..

श्री मूलचन्द मीणा : मैं यह कह रहा था कि एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव को आप गिरफ्तार कर रहे है-बिना सूचना के,मामूली सी,आंशिक सूचना के आधार पर। न्यायालय उनको छुटकारा दे रहा है, न्यायालय उनको छोड़ रहा है और आप उनको गिरफ्तार करके प्रचार कर रहे हो। दूसरी तरफ जो दोषी आदमी है, उसी की बातों पर विश्वास करते है। जो अपने घर में ऐसा धंधा करता है, उसको आप छोड़ रहे है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है, संतोष बागडोदिया जी का इस विधेयक को लाने के उद्देश्य यह था कि आदमी को एकांतता को भंग नहीं करना चाहिए और आंशिक सूचना के आधार पर किसी को बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। कई बार अखबार में पब्लिश हो जाता है कि इसके घर छापा डाला। लोग सोचते है कि न जाने क्या-क्या मिला होगा? अखबारों

*Expunged as ordered by the Chair.

में जाना ही नहीं चाहिए। यदि वह दोषी है, उसक खिलाफ कुछ निकाला है तब अखबार के प्रचार करें। एक बार आदमी की बदनामी हो जाती है और उस बदनामी को धोने के लिए अखबारों में जब वह जाता है तो अखबार वाले उसकी बात नहीं छापते।

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा):पंजाब में कैप्टन साहब को समझाओं ....

श्री मूलचन्द मीणा: अरविंदर सिंह जो छापे डाल रहे है, उसमें तो निकल रहा है। ... (**व्यवधान**)..उसको बचाने की कोशिश आप कर रहे है। ...(**व्यवधान**)... आपको पता चल जाएगा जब सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा। ....(**व्यवधान**)... जब सामने आएगा तो पता लग जाएगा। आप उसको बचाने की कोशिश मत करना। दोषी है तो उसको दंड मिलना चाहिए, यह हम भी चाहते है। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : अगर कोई निर्दोष हो तो उसे दोषी नहीं बनाना चाहिए। ..(**व्यवधान**)...

श्री मूलचन्द मीणा : निर्दोष कोई है ही नहीं। जो छापे डल रहे है, वे निर्दोष नहीं है। आप पता लगाइए, पांच साल में उन्होंने कितना* था। ...(**व्यवधान**)... अरविंदर जी सही आदमी है जो आज यह काम कर रहे है। बल्कि मुझे अफसोस है, इस देश के उप प्रधान मंत्री के ऊपर ...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम :उपसभाध्यक्ष महोदय, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए। यह अनपार्लियामेंटरी है। The person, against whom he is speaking, is not present.

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा): कितना था, यह कहना गलत है। ....(**व्यवधान**).. इसमें कोई ओथैंटीसिटी नहीं है।....(**व्यवधान**)..

श्री मूल चन्द मीणा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या गलत है? ...(**व्यवधान**)...

श्री संतोष बागडोदिया : इसमें आपको आपत्ति क्या है? इसमें क्यया गलत है?....(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्र लाठ :* है, यह कहां से आ गया? ....(**व्यवधान**)...

श्री संतोष बागडोदिया : यह तो आपने उठाया है ....(**व्यवधान**)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): If a Member is not present, you cannot comment on him.

श्री मूल चन्द मीणा : मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ....(**व्यवधान**).. महोदय, अगर मैंने किसी का नाम लिया है तो आप रिकार्ड से निकाल देना ...(**व्यवधान**)...

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री संतोष बागडोदिया : वे कह रहे है तो आपको गलत लग रहा है, यह क्या बात है? ....(**व्यवधान**)...

श्री मूल चन्द मीणा : संतोष जी, मैंने किसी का नाम तो लिया ही नहीं। ...(**व्यवधान**).. ये कह रहे है कि निकाल दीखिए। ...(**व्यवधान**).. मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि पांच साल मे जिन लोगों ने * है उनके घर छापा डाला जाए। ....(**व्यवधान**)..

प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश): * है, यह कहना गलत है। ...(**व्यवधान**)...

श्री बलबीर के. पुज (उत्तर प्रदेश): पांच वर्ष में जिन्होंने* वह ठीक है। जिन्होंने 40 साल तक उनका भी हिसाब होना चाहिए। ....(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. ए,के. पटेल) : रिकार्ड देखा जाएगा और अगर अनपार्लियामेंटरी होगा तो निकाला जाएगा।

श्री सुरेन्द्र लाठ :अगर यही बात करनी है कि किसने* है ....(**व्यवधान**)... अगर चर्चा करनी है कि किसने कितना* है तो इस पर बहस की ली जाए ...(**व्यवधान**)..

उपसभाध्यक्ष (डा.ए.के. पाटिल): अगर अनपर्लियामेंटरी होगा तो निकाल दिया जाएगा।

श्री मूल चन्द मीणा : जेल जाओगे तो पता लगेगा कितना* है।....(**व्यवधान**)...

प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा : महोदय, जो व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं है, उनके खिलाफ आरोप लगाना गलत है, परम्पराओं के विरूद्व है,इसको निकाल देना चाहिए ...(**व्यवधान**)..

श्री मूल चन्द मीणा : मैं*का सपोर्ट नहीं करता हूं, मुझमें यह कमी है। जो* रहे है ...(**व्यवधान**).. दर्द क्यों होता है,* है तो सामने आ जाएगा, न्यायालय में फैसला होगा।

आपको दर्द क्यों होता है? मुझे अफसोस होता है कि देश के उपप्रधान मंत्री के ऊपर। उन्होंने इस प्रकार का एक स्टेटमेंट देकर जो जांच हो रही थी ....(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Please dont' try to create any controversy. ...*(Interruptions)*...

श्री मूल चन्द मीणा : जो निष्पक्ष जांच हो रही थी, उसमें बाधा डालने की कोशिश की। ....(**व्यवधान**)...

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री संतोष बागडोदिया : यह कोई अनपार्लियामेंटरी है क्या? **...(व्यवधान)...**

श्री सुरेन्द्र लाठ : अगर इस बिल पर इस तरह चर्चा करनी है तो ठीक है। **....(व्यवधान)....**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Moolchandji, please speak on the subject only. Don't try to deviate.

श्री सुरेन्द्र लाठ : आप क्या चर्चा करना चाहते है? **...(व्यवधान)..**

श्री विक्रम वर्मा : महोदय, मूल चन्द जी मूल विषय पर तो है ही नहीं। **...(व्यवधान)...**

श्री बलबीर के. पुंज : सभापति जी, मूल चन्द जी मूल विषय पर तो बिलकुल ही नहीं बोल रहे है। अगर आपने* की बात करनी है तो पिछले चालीस साल की* की बात भी कीजिए, बोफोर्स में जो* हुई है, उसकी बात भी कीजिए। **...(व्यवधान)...**

श्री मूल चन्द मीणा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्न पर ही बोल रहा हूं। **..(व्यवधान)...**

श्री संतोष बागडोदिया : आप बीच में मत बोलिए। **...(व्यवधान)..**

श्री सुरेन्द्र लाठ : आपको बीच में बोलने की छूट है क्या?

श्री संतोष बागडोदिया : सर, उनको बोलना है तो उनको भी चांस दे दीजिए लेकिन बीच में मत बोलने दीजिए।

प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा : मान्यवर, मेरा एक प्वांइट ऑफ आर्डर है। मुझे एक मिनट दिया जाए। मान्यवर, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है और जो अपनी सफाई नहीं दे सकता, उस पर आरोप लगाना गलत है, असंसदीय है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उतना हिस्सा प्रोसीडिग्जं में से निकाल दिया जाए। **....(व्यवधान)...**

श्री संतोष बागडोदिया : कोई नाम नहीं लिया है। नाम तो इन्होंने लिया ही नहीं।जब नाम नहीं लिया तो असंसदीय क्या है? आपने नाम लिया है बादल जी का। इन्होंने नाम नहीं लिया।

श्री मूल चन्द मीणा : इनको पता है कि गलत काम किया है, इसलिए कहते है ये। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। **...(व्यवधान)...** मैंने तो अधिकारी बताया था। **...(व्यवधान)..**

प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा : आपने डायरेक्टर का नाम लिया है, डिप्टी डायरेक्टर का नाम लिया है।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री मूल चन्द मीणा : डिप्टी डायरेक्टर तो कितने होते है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): It is an unparliamentary word. The word* is unparliamentary.

श्री संतोष बागडोदिया : हां, जो अनपार्लियामेंटरी है, उसे निकाल दीजिए,कोई बात नहीं।

श्री मुल चन्द मीणा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जब व्यक्ति की एकांतता भंग होती है तब इससे उसको जो सामाजिक हानि होती है, उस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए कोई प्रावधान होना चाहिए। जों अधिकारी और कर्मचारी एकांतता को भंग करता है, वह द्वेष के कारण ऐसा करता है। मामूली आंशिक सूचना के आधार पर यदि कोई किसी को जबरदस्ती तंग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तब जाकर किसी आदमी की स्वतंत्रता, एकांतता कायम रह पाएगी नहीं तो जैसा आज-मन मरजी से किया जाता है-यह मुझे सूट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा और जो सूट नहीं करता है, उसके खिलाफ आंशिक सूचना पर भी कार्रवाई कर दे उसको बदनाम करने के लिए, उसको बेइज्जत करने के लिए। इससे उसकी स्वतंत्रता और जो सामाजिक न्याय है, वह नहीं मिलता है। ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए विधेयक लाना चाहिए और बनाना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं।

شری ابوعاصم اعظمی "اترپردیش": آپ سبھا ادھیکش مہودے، جوکانسٹی ٹیوشن امینڈمینٹ بل شری سنتوش باگڈودیا جی کے ذریعے لایا گیا ہے، یہ بہت اچھا بل ہے- بھارت ورش میں سنودھان کی دھارا-21مول ادھیکاروں کا سب سے بڑا دستاویز ہے- سنودھان بنانے والوں نے جان بوجھ کر اس طرح کی دھارا بنائی کہ کسی کی جان اور مال سماج میں کسی بھی ویکتی کے ہاتھ میں نہیں ہو- جب تک وہ قانونی پروسیجرایڈوپٹ نہ کرے، تب تک اس کے خلاف وہ کچھ نہیں کرسکتا- آزادی کی لڑائی کے دوران سبھی پارٹیوں کی میٹنگ کرکے جس میں کانگریس کے لوگ،ہندومہا سبھا کے لوگ، مسلم لیگ کے لوگ بھی موجود تھے، مرحوم موتی لال نہرو کی اگوائی میں کمیشن قائم کیا گیا اوراس کمیشن نے انگریزی سرکار کے سامنے سب سے پہلے یہ تجویز پیش کی کہ جان اور مال کے لئے اسٹیٹ کوادھیکار نہیں جب تک کہ قانونی راستہ نہ اختیار کیا جائے- جنگ آزادی کے دوران جب بھی کبھی قانون میں بدلاؤ کا موقع آیا، اہم لیڈروں نے

*Expunged as ordered by the Chair.
†Transliteration of Urdu Script.

انگریزوں کے سامنے سول لبرٹی،شہری آزادی کا مسئلہ باربار اٹھایا اور اس لئے ہمارے ملک کا ناگریک آزادی کا آئین تیار ہوا- اس آئین پرعوام کے سامنے آزادی کی جنگ کے دور میں جوقول کیا گیا تھا، اسکے مطابق آئین کی دھارا-21کوجوڑا گیا- یہ ہمارے آئین کے بنیادی حق کا سب سے بڑا حصہ ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اس دھارا کوآگے توبڑھایا جاسکتا ہے لیکن پارلیمنٹ بھی اس دھارا کوبدل نہیں سکتی، اس دھارا کوآگے بڑھا سکتی ہے، لوگوں کوحق دلا سکتی ہے- اس دھارا کوبنانے والے لیڈران نے کسی بھی ہندوستانی شہری کواس بات کا حق دیا کہ وہ اپنی جان اورمال کی حفاظت کے لئے سیدھے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے-اس دھارا کی حفاظت کے لئے دنیا میں ایمنیسٹی کمیشن بنایا گیا- ہمارے دیش بھارت ورش میں ہیومن رائٹ کمیشن بنایاگیا-اسکے باوجود بھی ہم شہریوں کی زندگی کی حفاظت نہیں کرپارہے ہیں- میں مانئیے سنتوش جی کواس بات کے لئے مبارک باد دیتا ہوں کہ سرکار اور سنسد کا دھیان کھینچنے کے لئے وہ یہ سنشودھن لائے اور مجھے اس میں کچھ بولنے کا موقع دیا- اس جمہوری راج میں انسان کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے- سارے راجیوں میں پولیس کا راج چل رہا ہے- آپ سبھی کویہ بات جان کرحیرانی ہوگی، تعجب ہوگا کہ مہاراشٹر میں ایک نوجوان،جس نے انجینئرنگ میں گریجویٹ کی، اسے بھارت ورش میں نوکری نہیں ملی، وہ ادھر ادھر بہت دوڑا،نوکری کے لئے دبئی چلا گیا- وہاں سے ڈیڑھ سال کے بعد دسمبر،2002میں چھٹی پرآیا کہ آکر بہن کی شادی کرونگا لیکن ممبئی کی پولس آئی اور اس نوجوان کوزبردستی گرفتارکرکے لے گئی- مانئیے جج کے سامنے، وشیش جج کے سامنے اسے پوٹا عدالت میں پیش کیا گیا-3جنوری سے 17جنوری تک اس کا ریمانڈ لیا گیا-اس ریمانڈ کے دوران پولس نے اس نوجوان کواتنی بری طرح سے مارا کہ اس نے منہ سے خون پھینک دیا اور وہ بیچارہ نوجوان مرگیا- جب عدالت نے حکم دیا کہ اس نوجوان کوعدالت میں پیش کیا جائے توان پولس والوں نے ایک ڈرامہ رچا- ڈرامہ رچ کرکورٹ میں آکرکہا کہ چار پولس والے اسے جیپ میں بٹھا کراورنگ آباد انکوائری پرلے جارہے تھے-راستے میں جیپ کا

ایکسیڈنٹ ہوگیا، جیپ پلٹ گئی اوربیچاری چاروں پولس والے،جوبڑے ہٹے کٹے تھے، بے ہوش ہو گئے-ان کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کرہتھکڑی میں بندھا ہوا ایک نوجوان بھاگ گیا- جب کورٹ میں مقدمہ گیا توجج صاحب کو اس بات کا شک ہوا کہ نہیں، اسکی ہتیا کردی گئی-لیکن اسے آج تک انصاف نہیں مل سکا- اسکی ماں کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ صرف میرے بچے کی لاش مجھے دے دی جائے-میں اسے کفن میں لپیٹ کراپنے سامنے قبرستان میں ڈال دونگی، میری یہی ڈیمانڈ ہے لیکن اسکی کوئی مدد نہیں کررہا ہے- وہ چاروں طرف بھاگ رہی ہے لیکن کوئی اسکی مدد کے لئے نہیں آرہا ہے- مانئیے عدالت نے پولس کی تھیوری پریقین نہیں کیا لیکن آج تک کچھ نہیں ہواہے-میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ جیسے ہریجن ات پیٹرن اور مہلا اتیپٹرن کولیکر وشیش قانون بنے ہیں- اسی طرزپر آئین کی اس دھارا-21کی مضبوطی کے لئے پولس کسٹڈی میں ہونے والی موت اورپولس کسٹڈی سے بھاگنے والے جری کے خلاف ان پرمقدمہ چلایا جائے،ہتیا کا مقدمہ چلایا جائے-مہودے،میں تمام لوگوں کا دھیان اس طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ اترپردیش کی ودھان سبھا میں درود میں سمرتھن دے رہا ہے اس کے اوپر راسکا لگا ہواہے،اور کہیں راسکا کا مقدمہ اٹھایا جارہا ہے- ہمارے مانئیے ملائم سنگھ یادوجی اورامرسنگھ جی کے اوپرایک ہی دن میں 250مقدمے اترپردیش کے سبھی ضلعوں میں لگا دئے گئے- اترپردیش کی سرکار دن رات اسی میں لگی ہوئی ہے کہ کس طرح سے سماج وادی پارٹی کے ورکر، جن کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، فرضی مقدمے بنا کرجیل میں بھیج دیا جائے- یہ توبہت اچھا ہوا کہ مانئیے نیائلے الہ آباد نے فورا مداخلت نہیں کی ہوتی تواس وقت ہمارے تمام مانئیے نیتا جیل میں پڑے ہوتے- ابھی بھی اترپردیش کی سرکار حرکتوں سے بازنہیں آرہی ہے-یہ کوشش لگی ہوئی ہے کہ کیسے بھی ان نیتاؤں کوجیل میں ڈال دیا جائے-تمام ایسے کارئے کرتاؤں،جن کا کوئی گناہ نہیں ہے ان کے خلاف درجنوں مقدمے درج کئے جارہے ہیں-اس ودھیک کے مادھیم سے سرکار سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اترپردیش میں مانو ادھیکار آیوگ کی ایک ٹیم کوبھیجا جائے-اسکی پوری انکوائری کی جائے-قانون کی دھجیاں اڑانے والی سرکار کے قدم کی جانچ کی ایک رپورٹ دیش کے سامنے پیش کی جائے-

دوسرامعاملہ کولکاتہ کا ہے،جوہمارے ایک مانئیے ممبر نے اٹھایا تھا کہ وشواستر کے تسکرافیم کی تسکری میں لپٹ تھے- امریکہ کی خفیہ ایجنسی نے اس معاملے کواٹھایا- اوروہ لوگ جودیش کی رکشا کے لئے رکھے گئے ہیں، ایسے افسرجواس میں لپت ہیں، ان کوگرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ دوسرے لوگوں کوگرفتار کیا گیا- آپ دوسرا معاملہ دیکھئے، گجرات میں بیسٹ بیکری کے کیس کے اندر زہرالنسا،کہتی ہے کہ مجھے بی جے پی کے ایم ایل اے نے ڈرایا کہ تم نے اگر گواہی دی توتم کومارديا جائے گا- وہ پورا گجرات چھوڑ کوممبئی میں جا کربیٹھی ہوئی ہے کہ میں ممبئی میں رہ کرگواہی کرسکتی ہوں- میں مانگ کرتا ہوں کو وہ لوگ جوحکومت میں بیٹھ کرقانون کی دھجیاں اڑارہے ہیں، ان کے اوپرمقدمہ چلایا جائے-اس دیش میں چاہے آسمان کی اونچائی پر بیٹھا ہواانسان ہویاسڑک پرکوئی بھیک مانگنے والا انسان ہو، قانون کی نظر میں ان کوایک نگاہ سے دیکھا جائے، یہ میں مانگ کرتاہوں- لیکن آج ہم کیا امید کریں؟1992کے اندر بابری مسجد کوشہید کردیا گیا-شہید کرنے کے بعد حکومت کی سب چیکنگ ہونے کے بعد،سب انکوائری ہونے کے بعد، جولوگ اس کے شٹرینتر میں شامل تھے ان کے اوپرمقدمہ بنایا گیا- لیکن انہوں نے،وہ لوگ جوآج اس حکومت کوسروسرہیں-سب سے بڑی کرسی پربیٹھے ہوئے ہیں،ان لوگوں کے دباؤمیں آکر مقدمہ اٹھالیا- ایک شاعربہت خوب کہا ہے

برباد گلستاں کرنے کوبس ایک ہی الوکافی ہے،

ہرشاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا؟

میں آج تمام سے اس بات کا نویدن کرتا ہوں کہ اس دیش کے اندر پولس راج نہیں، بلکہ اس دیش کے اندرپولس راج نہیں، بلکہ اس دیش کے اندر قانون کا راج قائم ہو-سرکار کے اشارے پرجومقدمے کئے جارہے ہیں وہ بند کئے جائیں-اس لئے سنودھان کی دھارا-21جوآئین کی اہم دھارا ہے- اسکی حفاظت کے لئے تمام سانسدوں

کوایک جٹ ہوکر قدم اٹھانا چاہئے، کیونکہ یہ ودھیک انسان کی نجی زندگی کی حفاظت کے لئے ہے-آج سب سے بڑا سنکٹ انسان کے اوپر ہے-سرکار ان سارے حقوق کوسماپت کرنے میں لگی ہوئی ہے- اس لئے یہ ودھیک بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی موزوں ہے-میں پھرسے مانئیے باگڈودیا کوبدھائی دیتا ہوں، اوراس میں بار بار اس کا سمرتھن کرتا ہوں- آپ نے مجھے ہاؤس کے اندر بولنے دیا،اس کے لئے بہت بہت دھنیواد-

†**श्री अबू आसिम आजमी** (उत्तर प्रदेश) :उपसभाध्यक्ष महोदय, जो कंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल श्री संतोष बागडोदिया जी के जरिए लाया गया है, यह बहुत अच्छा बिल है। भारतवर्ष में संविधान की धारा 21 मूल अधिकारों का सबसे बड़ा दस्तावेज है। संविधान बनाने वालों ने जान-बूझकर इस तरह की धारा बनाई कि किसी की जान और माल समाज में किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं हो। जब तक वह कानूनी प्रोसीजर ऐडॉप्ट न करे, तब तक उसके खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकता। आजादी की लडाई के दौरान सभी दलों की मीटिंग करके जिसमें कांग्रेस के लोग,हिंदू महासभा के लोग, मुस्लिम लीग के लोग भी मौजूद थे, स्वर्गीय मोती लाल नेहरू की अगुवाई में कमीशन कायम किया गया और उस कमीशन ने अंग्रेजी सरकार के सामने सबसे पहले यह तजवीज पेश की कि जान और माल के लिए स्टेट को अधिकार नहीं जब तक कि कानूनी रास्ता न अख्तियार किया जाए। जंगे-आजादी के दौरान जब भी कानून में बदलाव का मौका आया, अहम लीडरों ने अंग्रेजों के सामने सिविल लिबर्टी, शहरी आजादी का मसला बार-बार उठाया और इसलिए हमारे मुल्क का नागरिक आजादी का आईन तैयार हुआ। इस आईन पर अवाम के सामने आजादी की जंग के दौर में जो कौल किया गया था, उसके मुताबिक आईन की धारा 21 को जोड़ गया। यह हमारे आईन के बुनियादी हक का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी

यह फैसला किया कि इस धारा को आगे तो बढाया जा सकता है लेकिन पार्लियामेंट भी इस धारा को बदल नहीं सकती इस धारा को आगे बढ़ा सकती है, लोगों को हक दिला सकती है।

इस धारा को बनाने वाले लीडरान ने किसी भी हिन्दुस्तानी शहरी को इस बात का हक दिया कि वह अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

*'Expunged as ordered by the Chair.

इस धारा की हिफाजत के लिए दुनिया में एमनेस्टी कमीशन बनाया गया। हमारे देश भारतवर्ष में ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया। इसके बावजूद भी हम शहरियों की जिंदगी की हिफाजत नहीं कर पा रहे है। मैं माननीय संतोष जी को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि सरकार और संसद की ध्यान खीचनें के लिए वे यह संशोधन लाए और मुझे इसमें कुछ बोलनें का मौका दिया। इस जम्हूरी राज मे इंसान की जिदंगी का कोई मतलब नहीं रह गया है। सारे राज्यों में पुलिस का राज चल रहा है। आप सभी को यह बात जानकर हैरानी होगी, ताज्जुब होगा कि महाराष्ट्र में एक नौजवान, जिसने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की, उसे भारतवर्ष में नौकरी नहीं मिली, वह इधर-उधर बहुत दौडा, नौकरी के लिए दुबई चला गया। वहां से डेढ़ साल के बाद दिसम्बर,2002 में छुट्टी पर आया कि आकर बहिन की शादी करूंगा लेकिन मुबंई की पुलिस आई और उस नौजवान को जबर्दस्ती गिरफ्तार करके ले गई। माननीय जज के सामने, विशेष जज के सामने उसे पोटा अदालत में पेश किया गया। 3 जनवरी से 17 जनवरी तक उसका रिमाण्ड लिया गया। उस रिमाण्ड के दौरान पुलिस ने उस नौजवान को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसने मुंह से खून फैक दिया और वह बेचारा नौजवान मर गया। जब अदालत ने हुक्म दिया कि उस नौजवान को अदालत में पेश किया जाए तो उन पुलिस वालों ने एक ड्रामा रचा। ड्रामा रचकर कोर्ट में आकर कहां कि चार पुलिस वाले इसे जीप में बिठाकर औरंगाबाद इंक्वायरी पर ले जा रहे थे। रास्ते में जीप का एक्सीडेंट हो गया, जीप पलट गई और बेचारे चारों पुलिस वाले, जो बड़े हट्टे-कट्टे थे, बेहोश हो गए। उनकी बेहोशी का फायदा उठाकर हथकड़ी में बंधा हुआ एक नौजवान भाग गया। जब कोर्ट में मुकदमा गया तो जज साहब को इस बात का शक हुआ कि नहीं, इसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन उसे आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। उसकी मां कहती है कि मैं चाहती हूं कि सिर्फ मेरे बच्चे की लाश मुझे दे दी जाए। मैं इसे कफन में लपेटकर आपने सामने कब्रिस्तान में डाल दूंगी, मेरी यहीं डिमाण्ड है लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। वह चारो तरफ भाग रही है लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। माननीय अदालत ने पुलिस की थ्योरी पर यकीन नहीं किया लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जैसे हरिजन उत्पीड़न और महिला को लेकर विशेष कानून बने है, उसी तर्ज पर आईन की इस धारा 21 की मजबूती के लिए पुलिस कस्टडी में होने वाली मौत और पुलिस कस्टडी से भागने वाले जुर्म के खिलाफ उन पर मुकदमा चलाया जाए, हत्या का मुकदमा चलाया जाए। महोदय,मैं तमाम लोगों का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा मे जो विरोध में समर्थन दे रहा है उसके ऊपर रासुका लगा है और कहीं रासुका का मुकदमा उठाया जा रहा है। हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अमर सिंह जी के ऊपर एक ही दिन में 250 मुकदमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लगा दिए गए। उत्तर प्रदेश की सरकार दिन-रात इसी में लगी हुई है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के वर्कर, जिनके ऊपर कोई

*Expunged as ordered by the Chair.

मुकदमा नही है, फर्जी मुकदमे बनाकर जेल में भेज दिया जाए। यह तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि माननीय न्यायालय इलाहबाद के फौरन हस्तक्षेप किया। यदि यह हस्तक्षेप नहीं किया होता तो इस समय हमारे तमाम माननीय नेता जेल में पड़े होते। अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। यह कोशिश लगी हुई है कि कैसे भी इन नेताओं को जेल में डाल दिया जाए। तमाम ऐसे कार्यकर्त्ता, जिनका कोई गुनाह नहीं है उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमें दर्ज किए जा रहे है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार से यह अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग की एक टीम को भेजा जाए, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए। कानून की धज्जियां उडाने वाली सरकार के कदम की जांच की एक रिपोर्ट देश के सामने पेश की जाए।

दूसरा मामला कोलकाता का है, जो हमारे एक माननीय मैंम्बर ने उठाया कि विश्व स्तर के तस्कर अफीम की तस्करी में लिप्त थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने उस मामले को उठाया। और वे लोग जो देश की रक्षा के लिए रखे गए है, ऐसे अफसर जो उसमें लिप्त है, उनको गिरफ्तार किया गया। आप दूसरा मामले देखिए, गुजरात में बेस्ट बेकरी के केस के अंदर जहरूनिसा कहती है कि मुझे बीजेपी के एमएलए ने डराया कि तुमने अगर गवाही दी तो तुमको मार दिया जाएगा। वह पूरा गुजरात छोडकर मुंबई में जाकर जो हकूमत में बैठ कर कानून की धज्जियां उड। रहे है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। इस देश में चाहे आसमान की ऊंचाई पर बैठा हुआ इंसान हो या संड़क पर कोई भीख मांगने वाला इंसान हो, कानून की नजर में उनको एक निगाह से देखा जाए, यह मैं मांग करता हूं। परन्तु आज हम क्या उम्मीद करें? 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। शहीद करने के बाद हकूमत की सब चैंकिग होने के बाद, सब इन्क्वायरी होने के बाद, जो लोग उसके षडयंत्र में शामिल थे उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया। परन्तु इन्होंने, वे लोग जो आज इस हकूमत के सर्वे-सर्वा है, सब से बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए है, इन लोगों के दवाब में आ करके मुकदमा उठा लिया। एक शायर ने बहुत खूब कहा है.

बर्बाद ए गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है,
हर शाख पैं उल्लू बैठा है अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा?

मैं आज तमाम साथियों से इस बात का निवेदन करता हूं कि इस देश के अंदर पुलिस राज नहीं, बल्कि इस देश के अंदर कानून का राज कायम हो। सरकार के इशारे पर जो मुकदमे किए जा रहे है वे बंद किए जाएं। इसलिए संविधान की धारा 21 जो आईन की अहम धारा है इसकी हिफाजत के लिए तमाम सांसदों को एकजुट कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यह विधेयक इंसान की निजी जिन्दगी की हिफाजत के लिए है। आज सब से बड़ा संकट इंसान के ऊपर है। सरकार इन सारे हकूक को समाप्त करने में लगी हुई है। इसलिए यह विधेयक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मौजू है।

मैं फिर से माननीय संतोष बागडोदिया जी को बधाई देता हूं और बार-बार इसका समर्थन करता हूं। आपने मुझे हाउस के अंदर बोलने दिया,इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. कुमकुम राय (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय,हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री संतोष बागडोदिया द्वारा लाया गया यह संविधान (संशोधन) विधेयक,1999, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 में और उसको अन्तः स्थापित करने का जो सुझाव दिया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ी हूं। महोदय, आज अगर यह गैर सरकारी विधेयक इस सदन में लाया गया है तो इसके पीछे के कारण साफ है। हिन्दुस्तान जैसे गणराज्य में आज की हकीकत यह है कि विभिन्न राज्यों में/विभिन्न पार्टियों की सरकार है। अनेक क्षेत्रीय पार्टिया बड़ी मजबूती से विभिन्न राज्यों की सरकारों चला रही है। पूरे हिन्दुस्तान में अब किसी एक राष्ट्रीय पार्टी का एकछत्र अधिकार नहीं रह गया है। अब यह देखा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ और हानि के लिए, राग और द्वेष के लिए, हम संवैधानिक अधिकारों से युक्त उन संस्थानों का अति दुरूपयोग करने लगे है। संविधान में दी गई स्पष्ट मान्यताओं पर भी कुठाराघात करने लगे है और हर कोने से ऐसे अनेक प्रमाण अब तक इकट्टे किए जा सके है जिसके तहत यह प्रमाणित हो चुका है कि इन सवैंधानिक संस्थाओं को हम किस प्रकार राजनैतिक हस्तक्षेप के माध्यम से उनके दिए हुए संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात करके इस एक अरब 10 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में नागरिक की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो वैयक्तिक आजादी का जो अधिकार है, उस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने मीणा साहब ने, आजमी साहब ने कई उदाहरण दिए है, जिसमें स्पष्ट है कि विभिन्न दल के वरिष्ठ नेताओं का चरित्रहनन हमने अपनी राजनीतिक मंशाओं को पुष्ट करने के लिए किया है। कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार के मनगढंत आरोपो को लगा करके उन पर मुकदमे कायम कर दिए जाते है और कायम करने के बाद इस प्रकार के सवैधानिक अधिकारों से युक्त उन संस्थाओं को सौप भी दिए जाते है,लेकिन जहां, जिस सरकार है, वहां उस की तूती बोलती है और उस से सम्बद्व अधिकारी अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए उन के हिसाब से कार्य करना शुरू कर देते है। महोदय, मैं आप के सामने और समस्त सदन के सम्मुख इस गंभीर प्रश्न को रखना चाहती हूं कि यह जरूरी नहीं है कि जो काग्र आज उस थर्ड व्यक्ति के लिए कर रहे है वही कार्य आप के लिए नहीं होगा या वहीं व्यक्ति वहीं कार्य आप के लिए नहीं करेगा। इसलिए अगर संविधान के अनुच्छेद 21 में, जिस में हमारी व्यक्तिगत आजादी के अधिकार को सुनिश्चित किया जाय, अगर इस पर सदन विचार करे और सरकार भी विचार करे और हमारी व्यक्तिगत आजादी व निजता को सुरक्षित किया जाए तो हम सब के लिए इस प्रजातांत्रिक देश में बहुत ही अच्छा होगा। महोदय, मैं आप को याद दिलाना चाहती हूं कि जब भी इस प्रकार के मुकदमे कायम होते है तो बिना पुख्ता सबूत के, बिना तमाम कागजात के, बड़ी ही भ्रामक सूचनाओं के आधार पर भी इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है और अचानक पता चलता है कि फलां आदमी के घर में छापा

डालने के लिए एक टीम पहुंच गयी। फिर उस व्यक्ति के घर में क्या होता है? ये अधिकारी उस घर की महिलाएं, बेटियां, बहुएं अपने शयन कक्ष में किस अवस्था मे है, बीमार है, इस सब का ध्यान नहीं रखते है। वे उन्हें व्यवस्थित होने का मौका भी नही देते और धडाधड़ उन महिलाओं के शयन कक्ष में भी घुस जाते है। महोदय, ऐसे अनेक उदाहरण है। भले ही उस छापे के बाद वहां उन्हें केस मजबूत करने के लिए पुख्ता सबूत न मिलें वहां से निकलकर तुरंत मीडिया के सामने, पत्रकार सम्मेलन करके या इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मीडिया को बुलाकर वाह-वाही लूटना शुरू कर देते है। वे अपने राजनीतिक आका को खुश करने के लिए जोर-शोर से कहते है कि फलां आदमी के यहां इतने घंटे ऐसे-ऐसे छापा पड़ा। उन्हें मिला कुछ भी नहीं और उस के बाद न्यायिक प्रक्रिया में भलें ही सबूत न हो, लेकिन उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर जो कंलक, जो ग्रहण लग जाता है, उस के चरित्र में जो दाग लग जाता है, उस को इतिहास के अगले पन्ने भी नहीं धो पाते है। उस के संपूर्ण कैरियर पर एक बड़ा दाग लग जाता है। चाहे वे नितांत ही साधारण आदमी क्यों न हो, लेकिन उस के संपूर्ण कैरियर में एक बहुत बड़ा कंलक लग जाता है जिस की भरपाई करने का कोई दूसरा उपाय इस मुल्क में किसी में नहीं है।

महोदय,मैं आप को याद दिलाना चाहती हूं कि चारा घोटले के नाम पर राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने स्वयं जिस घोटाले का पर्दाफाश किया, अभियुक्तों के खिलाफ 48 एफ.आई.आर. दर्ज किए, लेकिन राजनीतिक विद्वेष के चलते उन को उसी केस में शामिल कर के गिरफ्तार करने की साजिश की गयी। महोदय, इतना ही नहीं लालू जी ने यह संदेश दे दिया था,कि मैं कल आत्म समर्पण करने जा रहा हूं लेकिन उनमें इतना धैर्य नहीं था, उन राजनीतिक आकाओं को इतना धैर्य नहीं था कि वह अगली सुबह का इंतजार करते। इस सब के लिए सेना को बुलाने की व्यवस्था की गयी और उन के निवास को सेना से घेरने की व्यवस्था की गयी जिस से ट्रावमा और चारों तरफ हाहाकार की स्थिति निर्मित हो गयी। उन के घर में अधिकारी छापा डालने पहुंचे तो उन के घर की महिलाओं के कमरों को भी नहीं बख्शा गया। महोदय, मैं आप को बतलाना चाहती हूं कि एक व्यक्ति के लिए आस्था और भक्ति एक निजी मामला है। उस के घर में जो मंदिर होता है और वह उस में अपने इष्ट देवाताओं की मूर्तिया रखता है। अब कोई चांदी की मूर्तिया रखता है,कोई पीतल की मूर्तियां अपने-अपने इष्ट देवताओं की रखते है। उनकी भक्ति का उपहास नही उड़ा क्या?उनकी निजता में इससे खलल नहीं पहुंचा? इतना ही नहीं एक मुख्य मंत्री के आवास में इस प्रकार से छापा पडना और कुछ न मिलना, यही पर पूर्णविराम नहीं लगा बल्कि उनके जो रिश्तेदार थे, उनके घरो में यह टीम पहुच गई-दूर के रिश्तेदार, उनके ससुराल के तमाम साले और सलहज, उनके घरों में भी यही काम किया गया। उनके घरों में भी बेड शीट को हटा-हटा कर के, उनके घरों की औरतो को हटाकर, उनके बिस्तरों की चद्दरो को हटा-हटा कर झाडा गया और बिस्तरों को खोल-खोल कर

देखा गया। गडिडयां तो मिली थी जिनके यहां, जिनके घरों मे बोरो में भरकर नोट मिले थे, उन पर भी भले ही आप कोई मुकदमा न चला पाए होंगे, उनको दंड नहीं दे पाए होंगे, लेकिन चद्दर झाड़ने के बाद भी, उस बेडरूम से औंरतों को हटाने के बाद भी और बैडरूम के बिस्तर को खंगालने के बाद भी, उस बेडरूम से औरतों को हटाने के बाद भी और बैडरूम के बिसतर को खंगालने के बाद भी जहां कुछ नहीं मिला, वहां इस तरह से आपने उनका उपहास उड़ाया, उनकी खिल्ली उड़ायी और इतना ही नहीं, वह एक व्यक्ति की खिल्ली नहीं, सबकी गरिमा का आपने उपहास उडाया था। एक मुख्य मंत्री और एक मुख्य मंत्री की पत्नी और उनकी जवान बेटियां जहां घर में है, शयन कक्ष में है, वहां अचानक इस प्रकार का छापा डालना और वहां से कुछ न मिलना, यह क्या साबित करता है? आज तक उनके किसी भी रिश्तेदार के यहां से कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी बरामदगी नहीं हो सकी जिसके कि आप अपने द्वारा राजनीतिक आकाओं के इशारे पर किए गए इस मुकदमे को पुख्ता कर सकें और सबूत पेश कर सकें। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि इस प्रजातांत्रिक देश में इससे क्या संदेश जा रहा है। एक तरफ तो आप देखते है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी के घर में, जिसने देशद्रोह और गद्दारी के बराबर अपराध किया, विदेशी मुल्क के पांच अपराधी जहां पकडे गए, अमेरिका की इंटरपोल के माध्यम से जहां छापा पड़ा और सबूत मिल गए, चीजों की बरामदगी हो गई, ड्रग्स मिल गए आपको, लेकिन वहां पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की और उन सारी सूचनाओं को भी सारे देश के लोगों के सामने नहीं लाया गया। सिर्फ पश्चिमी बंगाल के कुछ अखबारों में, बंगला भाषा के कुछ अखबारों में छपा और देश के दूसरे अखबारो में थोड़ा सा समाचार छपा और उसे सरकारी गवाह बनाकर फिर पुरस्कृत किया गया,लेकिन दूसरी तरफ लोगों की प्रतिष्ठा को आपने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है इसलिए ऐसे छापों के समय कम से कम एक घंटे का समय जरूर देना चाहिए ताकि घर की जो बहू-बेटियां है, महिलाएं है वे ढंग से सुसज्जित तो हो सकें, ढंग से तैयार तो हो सकें।

दूसरी बात, छापा डालने के तुरंत बाद इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रैस मीडिया के पास पहुंच जाना, भले ही वे सबूत उन पर लगाए गए आरोप को पुष्ट करें या न करें, लेकिन पहले ही अखबार में जाकर प्रैंस और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना, उन पर इस प्रकार का कलंक लगा देना, यह बड़ा ही गंभीर अपराध है।निजता और अपनी निजी जिंदगी को सुरक्षित रखने का अधिकार देश के बड़े नेताओं को ही नही बल्कि सामान्य नागरिक को भी है। इसलिए जहां भी इस प्रकार के छापे पड़े या जहां भी इस प्रकार की संस्थाओं के अधिकारी जाएं तो कम से कम यह तो कानून बनना ही चाहिए कि जब तक वे आरोप किसी पर साबित न हो जाएं तब तक आप प्रैस में न जाएं, तब तक आप इलैक्ट्रानिक मीडिया में न जाएं और इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से जहां भी आप जा रहे है वहां कम से कम महिलाओं की आजादी और महिलाओं की निजता का ख्याल रखते हुए कम से कम एक घंटे का उन्हे मौका अवश्य मिलना

चाहिए और इस प्रकार यदि सरकार सावधानी बरतेगी तो आने वाले भविष्य में सभी पार्टियों के लोगों को सुविधा होगी। मैं एक बात और याद दिलाना चाहती हूं कि यह सिर्फ मेरी पार्टी और मेरे ही मुख्य मंत्री की बात नहीं है, जयललिता जी, जो तमिलनाडु की मुख्य मंत्री थी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनकी भी कई साडियों को इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रैस में दिखाया गया था, उनकी चप्पलों और सैडलों की नुमाइश की गई थी। यह सब क्या है? इसलिए इस प्रकार के छापे के पश्चात तुरंत प्रैस में दौड जाना और तुरंत वाहवाही ले लेना, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश कर देना, यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आतंक है और इसे खत्म करने के लिए श्री संतोष बागडोदिया जी ने यह जो निजी विधेयक लाने का किया है, मैं इसका तहेदिल से समर्थन करती हूं और कहना चाहती हूं कि संविधान के अनुच्छेद 21 को अगर विस्तारित करके हमारे तमाम नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकार को और भी सुरक्षित करने का यदि पुख्ता इंतजाम किया जाए तो यह स्वागत योग्य होगा। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A. K. PATEL): Is there any other member desiring to speak?

Some Hon. Members: No.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A. K. PATEL): Now, the hon. Minister to reply.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष करके माननीय संतोष जी का अंतः करण से आभारी हूं कि ऐसे विषय को लेकर के उन्होने एक प्राइवेट मेंबर बिल सदन के समाने रखा है। जो विषय हम सब के साथ चाहे हम संसद सदस्य हों या जनप्रतिनिधि हों या एक आम नागरिक हों उसके स्वाभिमान के साथ जुड जाता है, हमारे सामने प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देता है कि क्या हम किसी प्रजातंत्र देश में रहते है या जहां प्रजातंत्र नहीं है वैसे देश में रहते हें तो हमारे अस्तित्व और हमारे स्वाभिमान से जुडा हुआ जो प्रश्न है उस विषय को लेकर आपने संविधान संशोधन के जरिए इस सदन में बिल रखा है। इसके साथ साथ मैं उन सभी अपने गणमान्य सदस्यों का भी आभारी हूं कि जिन्होने पिछले सेशन के दौरान और आज भी मैने देखा है कि काफी सदस्य उत्सुक थे बोलने के लिए इस पर बोले भी। माननीय सदस्या श्रीमती सरला माहेश्वरी जी ने अपने विचार रखे, प्रभाकर रेड्डी जी ने भी अपने विचार रखे, हमारे सब के आदरणीय श्री बालकवि बैरागी जी ने रामायण का उदाहरण देकर इस विषय को साथ लगाने की कोशिश की। आदरणीय रंगनाथ मिश्र और श्री.बी.पी. सिंहल ने भी व्यक्तिग एकांतता के अधिकार को बनाए रखने के मुद्दे पर बल दिया। मेरे मित्र प्रो, सोज साहब ने भी इस पर अपनी कुछ टिप्पणियां की, डी.पी. यादव जी ने भी अपने मन की व्यथा को भी सदन के सामने रखा। हमारी बहन श्रीमती गुरचरण कौर और

अभी हमारी बहन कुमकुम जी ने भी, आजमी जी ने मूल चन्द मीणा जी ने तथा अन्य सभी सदस्यों ने इसके अलग-अलग पहलुओं पर विचार रखे, चिंता व्यक्ति की है, कुछ सुझाव दिए है।

श्रीमन, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा कि जैसा मैंने शुरूआत में कहा कि यह हमारे सब की व्यक्तिगत एकांता के अधिकार के स्वाभिमान का प्रश्न है। मुझे लगाता है कि यह चिंता आज से नहीं जब से हमारा संविधान बना है तब से हमारा संविधान बनाने वाले महापुरूषों ने इस पर बिल्कुल लम्बे अरसे तक चर्चा करके क्योंकि यह बात सिर्फ वर्तमान लोकशाही के ढांचे की नही है, प्रजांतत्र के ढांचे की नही है, जब बालकवि बैरागी जी और अभी मीणा जी भी रामायण की कुछ बातें कर रहे थे तथा उन्होंने बताया कि रामचन्द्र जी और सीता माता एकांत में बैठते थे तो लक्ष्मण जी की हिम्मत नहीं होती थी कि वे वहां से गुजरे। मैं मानता हूं मैं तो उससे आगे जाकर कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत एकांतता की स्वतंत्रता हमारी पहचान है, हमारे संविधान के रचयिता ने उसको रखा है। साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि उसी भगवान रामचन्द्र जी को हम मर्यादा पुरूषोत्तम भी कहते है। हमारे देश की अपनी एक अलग पहचान है जिसमें व्यक्तिगत एकांतता का वह अर्थ न निकले कि जिस अर्थ में जो बाकी के देशों में जिसका अर्थ निकल जाता है। आज कई बार जो परिस्थिति हम देखते है चाहे टी.वी. चैनल पर हो या फिर घूमने निकलते हों तब, तो ऐसी स्थिति न बने वह भी हमें सोचना चाहिए। फिर भी मैं सभी माननीय सदस्यों को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार आपकी चिंता से अवगत है और नागरिक के व्यक्तिगत एकांतता के अधिकार को बनाए रखने के लिए कटिबद्व है, प्रतिबद्व है। यहां कुछ ऐसे प्रश्न भी है सामने रखे गए कि यह जो हमारी व्यक्तिगत एकांतता के साथ जो सीधा सम्पर्क कभी जुड जाता है। या उसका उल्लंघन होता है। वह तभी होता है जब कहीं न कहीं कानून उससे जुड जाता है। मुझे ऐसा लगता है और आप सब मुझसे सहमत होंगे कि आम आदमी के साथ जो हमारी विभिन्न जांच एजेंसियां है, छापा मारने वाली हों या तलाश करने वाली हों, जब तक कहीं न कहीं किसी न किसी का सही-गलत तार नहीं जुडा हों, तब तक उनके साथ उन एजेंसियों का सीधा संपर्क नहीं बन पाता। वह संपर्क तभी बन पाता है जब कहीं न कहीं किसी का कोई तार जुडता है। मगर फिर भी मैं मानता हूं और मेरा एक व्यक्तिगत और एक मंत्री के नामे भी मत है, जैसा अभी आदरणीय डा. कुमकुम जी ने बताया, बाकी सदस्यों ने भी बताया कि किसी भी प्रकार की रेड हो, छापा हो,किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना हो, उसकी जांच पड़ताल करनी हो, उसकी जाचं पड़ताल करनी हो, उसमे हमें शिष्टता बरतनी चाहिए। उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। कानून का यह तकाजा है, कानून का यह मजबूत विचार है, तत्व है कि जब तक आदमी अदालत में गुनहगार साबित नहीं होता, तब तक उसको गुनहगार नही माना जाता। इसलिए आपने जो सारे मुद्वे यहां पर रखे है, उनकी भूमिका मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि पहले से ही हम तय न कर लें कि यह आदमी गुनाहगार है। महोदय, कुछ 20-25 साल पहले की बात है, कई सालों से मैं भी राजनीति में हूं।

आप सबसे तो मैं छोटा हूं। आपमें से कई उम्र में भी मुझसे ज्यादा है और राजनीति के तजुर्बे भी आपके पास ज्यादा है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आज से 20-25 साल पहले थी।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): You have started very early in politics.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, he has held several important assignments.

श्री हरिन पाठक : उपसभाध्यक्ष महोदय को मालूम है कि मैं 16 साल की उम्र से पता नही कैसे,इस पब्लिक लाइफ में आ गया। कुछ परिस्थिति पहले थी। मैं आपकी चिंता से सहमत हूं। मैं तो भुक्तभोगी हूं, मगर मैं आज यह कहना नहीं चाहता। एक शिक्षक के नाते मैने अपने जीवन के 35 साल के काल में न कभी विघार्थियों को डांटा है, न कभी 35 साल, 40 साल के अपने व्यक्तिगत जीवन मे सरकार के या म्यूनिसिपेलिटी के या ट्रेफिक के किसी नियम का उल्लंघन किया है। फिर भी कहीं न कहीं, जैसा आपने कहा, उसका मैं भुक्तभोगी हूं और मेरा यह मानना है कि आज से 25 साल पहले जो परिस्थिति थी, उस में काफी बदलाव आया है। सरकार के हमारे विभिन्न मंत्रालयों से जो एजेंसीज थी, उस में काफी बदलाव आया है। सरकार के हमारे विभिन्न मंत्रालयों से जो जांच एजेंसीज है, उन्हें बार-बार निर्देश दिये जाते है कि व्यक्ति की एकांतता, उसका स्वाभिमान, उसके मूलभूत अधिकार उनकी रक्षा करके फिर कानून के अंतर्गत जो भी कार्यवाही करनी है, उस हिसाब से वे कार्यवाही करें। इसलिए मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जो सरकार की जांच एजेंसीज है, उन्हें भी अपने नियम के अनुसार, अपनी मर्यादाओं के अनुसार , कानून में, संविधान ने उन्हें जो अधिकार दिये है उन अधिकारों के अनुरूप अपना कार्य करना चाहिए। कुछ बातें प्रेस के बारे में भी कहीं गयी थी औंर कही जाती है। भारतीय प्रेस परिषद ने भी अपनी पत्रकारिता के आचरण के मानदंडो में यह निर्धारित किया है कि "प्रेस किसी व्यक्ति की गोपनीयता में हस्तक्षेप या आक्रामक रूप तब तक नहीं अपनाएगी जब तक कि ऐसा करना सार्वजानिक हित में आवश्यकता न हों" उनसे इसी मार्गदर्शी सिद्वान्त को पुनःदोहराने का भी अनुरोध किया जाएगा। जैसा मैंने कहा, मैं कोई बहुत लम्बी बातें नहीं करना चाहता हूं किन्तु अश्विनी कुमार जी यहां नहीं है, उन्होने एक टेप के बारे में बात कहीं थी, उच्चतम न्यायालय से जिसके बारे में फैसला भी आया था, उसका मैं यहां जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि फोन टेप करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पीपल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ तथा अन्य,18 दिसम्बर 1996 के वाद में दिए गए निर्देश के अनुरूप केन्द्र सरकार ने टेलीफोन टेप करने से संबंधित प्रक्रियात्मक रक्षोपाय निर्धारित करने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम-1885 की धारा सात के अधीन आवश्यक नियम बनाए है। नियमों के अनुसार यदि भारत की सम्प्रभुता और अखडंता, राष्ट्र की सुरक्षा, दूसरे राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध और लोक व्यवस्था को बनाए रखने तथा किसी अपराध को करने के लिए उत्प्रेरित करने से रोकने के लिए जरूरी हो। जो फैसला आया

था उसमें कहा गया था-"जरूरी हो तो भारत सरकार के मामले में केंन्द्रीय गृह संचिव तथा राज्य सरकार के मामले में गृह सचिव भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम,1885 की धारा 5(2) के अधीन किसी संदेश या संदेश की श्रेणी के अवरोध के लिए निर्देश देने का आदेश जारी करने के लिए अधिकृत है। "यह तभी कर सकते है जब देश की सम्प्रभुता के लिए कोई सवाल खड़ा होता है।

श्रीमान इस पूरे विधेयक के बारे में अगर मैं कहूं तो यदि हम अपने संविधान की धारा 21 को देखें, यह बड़ी व्यापक धारा है —"प्रोटेक्शन आफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी"

"No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law."

यही बात उन्होंने इसमें रखी है। हमारे संविधान की धारा 21 इतनी व्यापक है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सभी माननीय सदसयों के सामने मैं यह बात भी रखना चाहूंगा कि हमारे उच्चतम न्यायालय में कुछ फैसले ऐसे आए और वहां पर जो निर्णय लिए गए, जो वर्डिक्ट आए है, उनमें से दो का जिक्र मैं करना चाहूंगा जिनमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप जो 21 "क" जोड़ना चाहते हों, व्यक्तिगत एकांतता की स्वतंत्रता का अधिकार, वह संविधान की धारा 21 में सम्मिलित है और वह उसमें आ ही जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमैट्स है। मैं सिर्फ एक-दो जजमेंटॅस आपके सामने रखना चाहूंगा। एक है People's Union for Civil Liberties vs. Union of India, कुलदीप सिंह जी का जजमेंट है।

"Article 21 of the Constitution, has, therefore, been interpreted by all the seven learned Judges in Kharak Singh's case, majority and the minority opinions to include, that right to privacy, "which the hon. Member wants to be included as 21 (c) "is a part of the right to protection of life and personal liberty."

आगे भी कहा है एक जगह पर कि

"We have, therefore, no hesitation in holding that right to privacy is a part of right to life and personal liberty enshrined under article 21 of the Constitution."

तो मैं चाहता हूं कि हमारे संविधान की जो व्यापक धारा 21 है, उसमें ये सारी बातें निहित है और उसी में आ जाती है। मैं यह भी जरूर कहना चाहूंगा। जैसा मैने पहले कहा कि हरेक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत एकांतता की स्वाधीनता को बरकरार रखे। जो भी सरकारी एजेंसियां है, जहां उसे उचित लगता है कि उसमें अगर वह कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो उसमें शिष्टता बरती जाए,महिलाओं के मामले में विशेष शिष्टता बरती जाए। सभी व्यक्तियों और जो भी गणमान्य व्यक्ति है,

उस मामले में शिष्टता के साथ-साथ कानून का पालन करने में वे जरा और ध्यान रखें। इन सभी बातों को देखते हुए मुझे लगता है, जैसे मैंने बीच में कहा कि सरकार की जो भी एजेंसीज है, उनको हम लगातार दिशा-निर्देश देते रहते है। मैने कुछ उदाहरण भी दिए कि बीस साल पहले की जो स्थिति थी,वह स्थिति आज नहीं है, आज रेड करने जाना हो, आज तलाशी लेनी हो, आज किसी एजेंसी को गलत काम करवाना हो या करना हो, तो उसके लिए उनको अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार और भी दिशा-निर्देश देती रहेगी। व्यापक रूप से मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचार यहां पर रखे,सरकार को और जानकारी मिली। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी ज्यादा जानकारी मिली। मुझे एक बात का बड़ा आनन्द है, हर्ष है कि हमारा प्रजातंन्त्र जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रजांतत्र माना जाता है-हमारा कांस्टीट्यूशन पचास में बना और हमने आजादी सैतालीस में प्राप्त की हो लेकिन हमारा पुराना देश और देश उसकी जो पुरानी नीव और बुनियाद है, वे इन सभी सिद्धांतो पर आधरित है। मुझे लगता है कि इस स्थिति में सविधान की धारा इक्कीस, जो कि व्यापक है, उसमें ये सारे राइट टू प्राइवेसी आ जाते है। मैं माननीय सदस्य श्री संतोष जी से प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वे अपने विधेयक को वापस ले लें पुनः एक बार फिर आप सभी महानुभावों, जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया, उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

SHRI SANTOSH BAGRODIA:Thankyou Mr.Vice-Chairman, Sir.To begin with, I am grateful to all my colleagues, who have participated, cutting across party lines, in the discussion on this Constitution (Amendment) Bill. I found from.the records that twenty-five hon. Members have participated in this debate. It is a very rare sight to see the participation of so many hon. Members in a Private Member's Bill. Hon. Members have participated from various parties such as BJP, CPM, TDP, DMK, of course, from the Congress, SP, RJD and other nominated Members. It began—after my initial speech—with Shri Dina Nath Mishra, then Smt. Sarlaji, Shri Prabhakar Reddy, Shri Saif-Ud-Din-Soz, Shri C.P. Thirunavukkarasu, Maulana Azmi, Shri Rangnath Misra have all participated in the discussion, श्री रंगनाथ मिश्र जी तो पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके है, डा. दास, वर्मासाहब. बालकवि बैरागी साहब, अजय मारू जी थे, अश्विनी कुमार जी, चन्द्रकला पांडे जी, लेखराज वचानी जी, बीजेपी से भी कई लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, यादव साहब, डा. शर्मा, गुरचरण कौर जी, बिम्बा रायकर, बी.पी. सिहल जी, जोकि खुद पुलिस से आते है, जब वे रहे होंगे तो इन्होंने भी बड़ी ज्यादतिंया की होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों आज वे इस बिल को सपोर्ट कर रहे थे,मेरी समझ में कम ही आ रहा है। वासन साहब, मूल चंद मीणा जी, आजमी जी और कुमकुम राय जी सभी ने पार्टिसिपेट किया। मैं इन सभी

का बहुत-बहुत आभारी हूं और जैसी मुझे आशा थी मंत्री जी को तो यह कहना ही था कि मुझे कुछ नहीं करना है, इसलिए मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने बड़ी इज्जत के साथ जितनी बातें हुई उन्हें मंजूर किया। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है और लोगों ने जो-जो उदाहरण दिये उनको भी मंजूर किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और बिना कारण के हुआ है। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो 21वां संशोधन है, कांस्टीट्यूशन का जो 21वां आर्टिकल है यह बहुत व्यापक है। is very vast because the Constitution-makers were definitely very intelligent people. They had a vision for the next fifty years or hundred years or hundreds and hundreds of years.That is why they could produce this kind of Constitution. But, unfortunately, during the last fifty or sixty years, a number of new laws have been enacted, which include Official Secrets Act, Excise and Customs Act, Income Tax Act, IPC, Labour Laws, amendments are proposed to the Companies Act, FERA has been replaced by FEMA. So, there is no co-ordination between these laws and the Constitution. The most difficult thing is that the bureaucracy is interpreting law and is not borthered about the Constitution. Either it is the IPC or the Customs laws or any other law, these people will come, will talk about the laws in a very limited sphere. They will talk about only what suits them, only that particular clause, without giving reference to any other clause, even within that law. And, the most unfortunate thing is, they will misguide the ordinary citizen. In my opinion, that itself is a crime. For example, I can tell you, Sir. only recently, I got a call from a friend of mine that intelligence people had called him for some witness or evidence. I asked him, "For what have they called you? What crime have you done?" He is a Chartered Accountant. He is very educated. I know, he comes from a very simple family. When I called the officer, he said, "No, there is a small complaint. So, I want him to come मैने कहा भाई पुलिस के नाम से जो सब को पसीने आते है। हमको तो आपसे बात करने में ही डर लग रहा है कि कहीं आप उसके साथ मुझे भी न घुसा दो। एमपी होते हुए मुझे यह डर लग रहा हें कि मैंने उसके लिए आपको पूछा इसलिए आप मेरा भी नाम उसमे न जोड दो। आप उसको बुला कर उसका विटनैस क्यों लेना चाहते हो। उसने क्या क्राइम किया है। किसी ने कंप्लैट कर दिया, यह हो गया। आप उसके घर जाओं, छान-बीन करों। बोले नहीं,हमारा नियम है, यहां आने का। उसी दिन वह विदेश जा रहा था। मैंने अनुरोध किया कि आप विदेश जाने दो। एक महीने बाद आएगा तब करवा लेंगे। मीनवाइल मैंने किसी दूसरे पुलिस अफसरों से बात की। उसने मुझे बताया कि यह जो अफसर कर रहा था, यह बिल्कुल गलत और कायदे के विरूद्व काम कर रहा था। उसका कोई अधिकार नहीं

है कि इसको घर पर बुलाकर या अपने दफ्तर में बुला कर उसका विटनैस ले। वह उसके घर जा कर छानबीन कर सकता है, लेकिन अपने घर पर बुला कर नहीं कर सकता। इस तरह की वारदातें हो रही है। इस तरह का काम मेरी समझ में इंटेलिजेंस विंग वाले, टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाले, सीबीआई वाले, पुलिस डिपार्टमेंट वाले और दूसरे जो सैक्योरिटी डिपार्टमेंट के आफिसर्ज है, ये खुल करके अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे है। महोदय, मुझे कुछ समय बोलने का दिया जाए तो अच्छा होंगा, क्योंकि जब मैंने इंट्रोडयूस किया था तब मुझे यह कहा गया था कि आप जब रिप्लायी देंगे तब पूरी बात बोल दीजिएगा। .....(**व्यवधान**)...45 मिनट नहीं,28 मिनट, मेरे पास जो रेकॉर्ड है। तो आपको और मंत्री जी को कुछ दूसरे देशों के उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि मंत्री जी ने यह कह तो दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे। कोई बात नहीं,शायद उन उदाहरणो से आपको कुछ और जागरूकता हो जाए या आपकी और इच्छा हो जाए, कुछ और इंप्रूव किया जाए, चाहे इस कंस्टीट्यूशन को करें, चाहें दूसरे लॉज को करें,मेरा परपज सर्व हो जाएगा कि अगर आपने कहीं भी कुछ संशोधन किया जिससे कि हमारी जनता के साथ इस तरह का अन्याय न हो। इसलिए मैं बताना चाहता हूं Privacy, as a concept, as a human right, is highly valued in any democratic set up. यह तो आप भी एग्री करते है। Developments in the.field-.of information technology, however, have quite dramatically altered the private space of individuals and impinged on what used to be called, 'right to privacy'. Unfortunately, this is what is happening, आपने भी मेंशन किया,आई मीन, वाइस चेयरमैन साहब, जितने हमारे सैलफोन है हंडरेड परसेंट, आप भी अगर बात कर रहे है तो आप समझ ले आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आपकी हर बात रेकॉर्ड हो रही है और पांच वर्ष तक उस रिकार्ड को रखा जाएगा। इस वास्ते इतना समय, इतना खर्चा हम किस वास्ते कर रहे है। अगर कोई अपराधी है जिसके लिए आपको बात रेकॉर्ड करनी है, उसमें मुझे कोई आब्जैक्शन नहीं है, लेकिन हिन्दुस्तान में जितने टेलीफोन है, सारी कंपनियों को कह दिया गया है, सब रिकॉर्ड रखो और पांच वर्ष तक रखो। किस वास्ते? Sir, critics say that 'right to privacy' is a highly individualistic right.That ignores the moral and social dimensions of crucial and thorny social issues, like abortion and the right to die. Some have even argued the abandonment of the concept of privacy altogether, particularly due to the impact of technology. That make it almost impossible to retain this particular human value in modern times. मैं दोनो बातें बोल रहा हूं।

"In a discussion of this right to privacy that an individual seeks, four significant dimensions of privacy merit extensive discussion. Roger Clarke mentions four aspects:

(1) Privacy of the person concerns itself with the integrity of an individual's body wherein he may not be forced to undergo any kind of compulsory immunisation or sterilisation or blood transfusion." ...*(Interruptions)*...

श्री संघ प्रिय गौतम :यह आप किस जजमेंट से पढ रहे है?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I have said, 'Roger Clarke mentions four aspects.' He had mentioned this. I have mentioned that before; I have neverquoted any judgement. ...*(Interruptions)*... मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा, नहीं तो आप बोलोगे कि कोर्ट को कोट मत करों। आपके दिमाग में बात बैठी है कि हम इधर वाले लोग हमेशा गड़बड़ बोलते है। अब उस का क्या इलाज है? The second point is this.

(2) Privacy of personal behaviour has within its ambit sensitive issues regarding political or religious activites or beliefs, sexual preferences or habits.

(3)Privacy of personal communication implies the total freedom to communicate by whatever means without being monitored or interfered by any agency or organisation. इसी पर मैने सेलफोन की बात कही थी।

(4)Privacy of personal data demands that data about individuals must not be available to others or permitted to be used without the individual's consent. जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह होते है।

The Universal Declaration of Human Rights क्या बोलते है?"No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour or reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."
"State parties are required to adopt legislative and other measures to give effect to the prohibition against such interferences and attacks as well as to the protection of this right." This is what I wanted to refer to the hon. Minister, that it is your responsibility to give effect to the prohibition against such interferences. Please find out some method. For example, I am just going a little out of the way. आप ने मेंशन किया कि जब कोई अपराधी पकड़ा जाय, उस के ऊपर कोर्ट में केस तय नहीं हो जाय कि वह अपराधी है, तब तक कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे सिंहल साहब ने स्पष्ट किया था कि अगर कोई रेड हो और उस रेड

में अगर कोई मीडिया का आदमी साथ में चला जाता है तो जो ऑफिसर रेड कर रहा है, उस का सस्पेंड कर देना चाहिए क्योंकि रेड तो ऐसी चीज है, जो एजेंसी उस कार्य को करती है तो वह किसी अपराधी के घर करती है। अब उस अपराधी के साथ पूरे कंट्री या दुनिया में लोग कॉल्यूजन में हो सकते है। तो वह कार्य उस एजेंसी को चुपचाप करना चाहिए। उस का पता किसी को भी नहीं लगना चाहिए। अगर उस को मीडिया ने दिखा दिया तो उस के एकांप्लिश को पता चल जाएगा और वे भाग जाएंगे। ये अधिकारी इस सब के बारे मे नहीं सोचते, इस बारे मे ये अधिकारी ध्यान क्यों नहीं देते? दरअसल उन को आंनद आने लग गया है कि हम ने उस की इज्जत उतार दी। उन को आनंद आने लगा है कि हमारा भी चेहरा टी.वी. पर आएगा। महोदय, एक हमारे डायरेक्टर थे,मैं उन का नाम नहीं लेता क्यों गौतम साहब नाम लेने के लिए कहा है। वह सी.बी.आई. के थे और रोज सुबह टी.वी. पर आते थे अपनी दिन भर की दिनचर्या के बारे में बताया करते थे। तो यह सी.बी.आई. डायरेक्टर नेता कब से हो गए? लेकिन उन्होने ऐसा किया । ये सब बाते रिकॉर्ड की बातें है।

The European Convention on Human Rights. Article 8 of the European Convention states:

"1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others."

And it further states, "The court has taken a very serious view of interception of communication and has called it a 'serious interference in the private life of an individual."

Now I come to privacy and homosexuality. The issue of right to privacy has also been raised with respect to freedom of an individual in his sexual orientation and the rights of gays and homosexuals have found support when challenged.

Then, in the opinion of the Human Rights Committee, moral issues cannot be deemed to be a matter of domestic concern, as this would open the door to withdrawing from the Committee's scrutiny a potentially large number of statutes interfering with privacy."

श्री संघ प्रिय गौतम : बागडोदिया साहब, इतना बड़ा नहीं पढ़ा जाता है।

श्री संतोष बागडोदिया :मैं क्वोट कर रहा हूं। अब मेरी तो इतनी मेमरी नहीं है कि मैं सब के कोटेशंस याद रख सकूं। सर, अगर क्वोट करना अलाऊ नहीं है तो मैं नहीं बोलूगा, आप मुझे बता दें। मैं क्वोट कर रहा हूं इंडिविज्युयल कन्वेंशंस जो दुनिया के दूसरे क्षेंत्रों में है। अब अगर मेरी भी मेमरी उनके जैसी जो जाए तो शयद मैं भी क्वोट अंदाजे से कर दूंगा। This is a very serious matter because I don't want even one comma or full stop to be changed.

Now, I come to data protection. "Conventional information privacy protections are known as 'Fair Information Practices' (FlP)in current parlance. The development of a frontier free Internal Market in the European Union and the rise of modern 'information society' led the European Union to issue strict directives to protect the personal data of its 370 million people. European companies require companies to tell customers when they plan to sell their personal information to other firms. However, American regulations would not provide such protections. These differences are there in different countries. The basic difference between the United States and the European Union is that while in the European Union countries privacy is social values oriented बिकाज वे जरा ट्रेडिशनल है यूरोपयन। In the United States, business and commercial interests take precedence, उनको खाली बिजेनस से मतलब है। These are the guidelines concerning computerised personal data files." In order to have the most effective protection of his private life, every individual should have the right to ascertain in an intelligible form whether, and, if so, what personal data is stored in automatic data files, and for what purposes. Every individual should also be able to ascertain which public authorities or private individuals or bodies control or may control their files. If such files contain incorrect personal data or have been collected or processed contrary to the provisions of the law, every individual should have the right to request rectification or elimination. "इस बारे में आप विचार कर लें।

Data mining today is used extensively by businesses without the individual's knowledge or participation. A life insurance company managed to acquire data about customers who shopped for children's clothes regularly. They used the information to mail their product to these people and the response was that 40 per cent of these card holders ended up buying child insurance product of the insurance company.

Now, I will explain some salient features of privacy laws in some other countries. "The Constitutions of Argentina, Belgium, Brazil, Bulgaria, Chile, Czechoslovakia, Estonia, Finland, Greece, Hong Kong, Hungary, Israel, Italy, Japan and South Korea explicitly mention the right to privacy and in some form or the other the four aspects of privacy mentioned above find place in these Constitutions. The Constitution of Argentina states "The home is inviolable as is personal correspondence and private papers; the law will determine what cases and what justifications may be relevant to their search or confiscation. The private actions of men that in no way offend order nor public morals, nor prejudice a third party, are reserved only to God's judgement and are free from judicial authority. No inhabitant of the Nation will be obligated to do that which is not required by law, nor be deprived of what is not prohibited."

The Constitution Act of Finland states, "The private life, honour and home of every person shall be secured.The secrecy of correspondence and of telephone and other confidential communications shall be inviolable."

The Constitution of Japan states, "the secrecy of any means of communication should not be violated. The right of all persons to be secure in their homes, papers and effects against entries, searches and seizures shall not be impaired except upon warrant issued for adequate cause and particularly describing the place to be searched and things to be seized. Each search or seizure shall be made upon separate warrant issued by a competent judicial officer."

आपको बताना चाहता हूं कि जब यह रेड के लिए आते है जैसे कुमकुम राय जी ने कहा है कि यदि ये किसी के घर में आते है तो वहां बताया गया कि इस मकान में तो चार भाई रहते है, सब अलग-अलग है, इनसे कोई मतलब नहीं है। उनके पास ब्लेंक कागज होता है जिस पर वे साइन करके उसको देकर के दूसरे भाईयों पर भी रेड कर देते है, सालों पर भी कर देते है तथा सालों के सालों पर भी कर देते है।इस प्रकार इसका कोई अंत नहीं है क्योंकि उनके पास सब ब्लेंक में होता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री ए.के. पटेल): इसको खत्म कीजिएगा।

श्री संतोष बागडोदिया : सर, अगर कोई लॉ है कि मुझे चुप हो जाना चाहिए तो मैं एक सेकेंड मे चुप हो जाऊंगा। और अगर मेरा अधिकार है बोलने का तो कृपा करके मुझे बोलने दीजिए।

श्री संध प्रिय गौतम : बागडोदिया साहब, यह अधिकार नहीं है जो आपने पढ़ा है। आप खुद वाइस चेसरमेन की सीट पर बैठते होYou cannot read from a paper which is neither a part of any judgement nor a part of any proceeding. You are simply reading from some articles, and, that too.in many respects, which are irrelevant.

श्री संतोष बागडोदिया : सर, मुझे आपसे इसकी रूलिंग चाहिए क्योंकि मैं उनकी रूलिंग तो मानने वाला नहीं हूं क्योंकि आप चेयर पर बैठे है। मैं किसी को कोट करने के लिए पढ़ सकता हूं या नहीं? कुछ कंट्रीज के कंस्टीटयूशन को काफी स्टडी करके मैंने एक-एक कंट्री के कंस्टीट्यूशन के बारे में कोट किया है और यह कोटेशन यदि कहीं एलाउड नहीं है तो मुझे बतला दें कि कौन से लॉ में एलाउ नहीं है।

श्री खान गुफरान जाहिदी (उत्तर प्रदेश) : हर बार कोट किया जाता है, हजारों मिसालें मौजूद है। We can quote.

श्री संतोष बागडोदिया : अभी मैं दूसरा बतला रहा हूं खास करके गौतम साहब की नॉलेज के लिए। "in the Czech Republic in 1992, the Interior Ministry sold the addresses of all children under the age of two and all women between 15 and 35, which totals to about two million people, to Proctor and Gamble. This information was used by the company for a campaign for direct marketing for Pampers diapers. An Unauthorised CD-Rom listing all telephone numbers in the Czech Republic even included the home number of President Havel इस तरह की इंफार्मेशन लोग देते है। which is not right. "The State of Hessen in Germany was the first state worldwide to enact data protection laws in1970." "in Canada, the most provincial legislation is titled, "Freedom of Information and Protection of Privacy", which are the two sides of the same coin." The Act on Protection of Personal Data in Information Systems was adopted in 1992 in the Czech Republic. The Act requires that there should be legal authority for collection of personal data regarding race, nationality, criminal records, health, property, etc., and should be used for the specific purpose for which it was collected. "In Argentina, the Constitution provides a right of habeus data. It states, 'Every person may file an action to obtain knowledge of the data about them and its purpose, whether contained in public or private registries." *A* मैं ऑनरेबिल मिनिस्टर का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर हमारे बारे में आपसे कोई रिकार्ड रखा हुआ है अपने डिपार्टमेंट में चाहे रेड में हो या बिना रेड में हो उसकी कॉपी तो हमें दें। उसकी कॉपी भी आप हमें नहीं देते। every peson has a right.

"An attempt by the State in Australia to give a national identification card and number to all citizens led to widespread protests, and the consequence was the Privacy Act of 1988." Today, G.P.S.(Global Positioning System) devices can trace an individual anywhere whether it is for marketing or for other purposes. According to figures, an average Briton is recorded 300 times a day by CCTV cameras. If that is not enough, future technology will allow low-level radiation to see through clothing walls or cars even.

Now, let us compare it with the Indian Constitution. "The Indian Constitution does not recognize -- Mr. Minister, Sir, -- the right to privacy as a fundamental right though it has been interpreted as an integral part of the right to life by the Supreme Court (*Kharak Singh vs State of Uttar Pradesh).* However, there is no legal remedy for an individual, if his privacy is violated as it is ever so often."

Under Article 21, courts can be approached if the offender is a government agency, but this right cannot be invoked against private individuals. Kindly refer to Maneka Gandhi's case against Khushwant Singh for the references in his book "Truth, Love and a Little Malice".

The debates in Parliament on the proposed Constitutional Amendment to include specifically, the right to privacy have so far highlighted the high-handedness of the officials during raids conducted by Income Tax, or other enforcement departments, or the police. One Member has even referred to it as an exercise of power by officials in order to demonstrate that they are in control. The misuse of power in administration and all its attendant ills are real]y a throwback to British rule. The assertion of authority and power by a foreign imperialist power administering a colony is, by nature, diametrically opposite to democratic principles of Government based on the rule of law. Unfortunately, the same mindset continues to prevail in the administration of India. A policeman is not a friend, whom you may accost on the road and seek his help or look upon him as a saviour in times of difficulty. He is always to be feared and avoided. He wields his authority with his baton and his lathi and impinges on the privacy of citizens at will.

Ever so often, one reads in the newspapwers about income tax raids in various premises along with the details of what was recovered - it is never known with certainty where the truth lies and even if such

raids have either a newsworthy quality or act as a deterrent, it is not clear what prompts the income tax authorities from disclosing to the press the details of the case.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: What is article 21 ? You are referring from the Constitutions of foreign countries; it is here, in our Constitution itself.

SHRI KHAN GHUFRAN ZAHIDI: What is there in the Constitution?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Article 21. It is related to privacy.

श्री संतोष बगडोदिया : मेरी बात तो आपने सुनी ही नहीं, उससे पहले हो उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A. K. PATEL): Mr. Bagrodia, you have taken a lot of time.

श्री हरिन पाठक : महोदय, मेरी जानकारी के लिए मैं जानना चाहूंगा कि हमारे देश की संविधान की धारा 21 और उससे संबंधित जो हमारे कानून है, उसकी टिप्पणियां किस किताब से कोट कर रहे है? क्या ये किसी देश को बुक से पढ़ रहे है? यह आप कहां से पढ़ रहे है, यह मैं जानना चाहता हूं? यह कौन कहता है कि पुलिस हमारी साथी है, यह आप कहां से पढ़ रहे है?

श्री संतोष बागडोदिया : ये सारी चीजें मैं लाइब्रेरी सें .....

श्री हरिन पाठक : आप किस किताब से पढ़ रहे है?

श्री संतोष बागडोदिया : इतनी किताबे से रैफरेंस लिया है और सारे रैफरेंस मैं आपको भेज दूंगा क्योंकि आज अभी अगर मैं आपको सबके नाम बताउंगा तो फिर कहेंगे कि ज्यादा समय ले लिया। इसलिए मैंने नाम देकर बताए है ...(**व्यवधान**)...

श्री हरिन पाठक : मैं आपसे निवेदन करूंगा क्योंकि आप इस सदन के बहुत सीनियर सदस्य है कि विदेशों की किसी भी किताब द्वारा हमारे देश के संविधान के बारे में की हुई टिप्पणियां, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। ऐसा मेरा मानना है।

श्री संतोष बागडोदिया : एक गलती हो गयी। आप समझे नहीं ....(**व्यवधान**).. एक मिनट, आप मेरी बात समझे नहीं।

श्री हरिन पाठक : मेरा मानना है कि ....(**व्यवधान**)..._क्या कॉस्टीटयूशन है, नीदरलैड के लेखक ने भारत के संविधान के बारे में, भारत की पुलिस के बारे में क्या कहा। मुझे लगता है कि अगर आज उचित समझे तो मुझे लगता है कि अगर आज उचित समझें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री संतोष बागडोदिया : मंत्री जी मैं आपको बता रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... सर, एक मिनट। मैं उनकी बात का जवाब तो दे दूं। .....(**व्यवधान**)... बाप बोल दीजिए। मैं बैठ जाता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Only two hours have been allotted for the discussion and you have already taken much of the time. Please, try to conclude it.

श्री संतोष बागडोदिया : सर, पहले उन्होंने जो बात कहीं है, इंडियन कॉन्स्टीटयूशन वाली बात मैंने कहीं से नही ली है। जो यहां डिसकशन हुआ है,उससे मैंने नोट बनाया है। मैने इंडियन कॉन्सटीटयूशन ...(**व्यवधान**)...

SHRI HARIN PATHAK: You have referred to some country, and mentioned that somebody has said that the Indian Constitution does not have any privacy policy. Please, clarify.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I have only said that अब मैं इंडियन कॉन्स्टीटयूशन के बारे में बोल रहा हूं। मैंने खाली इतना कहा। मैंने यह कभी नहीं कहा। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। अगर मैने कहीं भी कहा हो कि दूसरी कंट्री के लोगों ने रैफर किया तो यह मेरे लिए भी खराब बात है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। .....(**व्यवधान**)... मैं उसी सिस्टम में बोलता गया इसलिए आपको कन्फयूजन हो गया लेकिन ये जो बातें ....(**व्यवधान**)...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, I have got a point of order. ^

उपसभाध्यक्ष (डा. ए.के. पटेल): देख लीजिए। अगर है तो ...

श्री संतोष बागडोदिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर ...(**व्यवधान**)..

उपसभाध्यक्ष (डा. ए. के. पटेल) : अगर ऐसी कोई बात कहीं गयी है तो ....

श्री संतोष बागडोदिया : महोदय, मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं। यह कई दिनों से चल रहा था। या तो मैं हर पार्टीसिपेंट का नाम लेकर उसमें जो बातें है, वह बोलता। उनको सब संक्षेप में बनाकर मैंने तो यह नोट तैयार किया है जिससे जो अंतिम पोर्शन है, उसमें ज्यादा वक्त न लगे। इसलिए मैंने रैफरेंस कर दिया। इंडियन कॉन्स्टीटयूशन की बात किसी भी दूसरे देश की बात नहीं है, यह हमारी अपनी बात है। इस संबंध के सब लोगों ने जो कहा, उसी में से मैने इसे संक्षेप में बनाया है और वही मैं कह रहा हूं। जैसा आपने कहा, मैं इसे पांच-सात मिनट में खत्म कर रहा हूं। There is no general privacy law in India, but privacy is guaranteed to some extent by other Indian laws. The honour and reputation of an individual can invite criminal action. Confidentiality in bank transactions is protected by Public Financial Institutions Act of 1993.

The Indian Telegraph Act, 1985 regulates wiretapping and an order for wiretapping can be issued.

श्री संघ प्रिय गौतम : कहां से पढ़ रहे है आप? वाईस चेयरमैन सर, ये कहां से पढ़ रहा है?

श्री संतोष बागडोदिया : अगर इस तरह से ये डिस्टर्ब करते रहेंगे तो यह डिसकशन अभी खत्म नहीं होगा। यह ऐक्ट 1885 का है। मैं एक्ट की बात कर रहा हूं, उसमें भी इनको ऑब्जेक्शन हो रहा है। ..(**व्यवधान**).. हर सेंटेंस में इनको ऑब्जेशन हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (डा. ए.के. पटेल): अब काफी समय हो गया है?

श्री संतोष बागडोदिया : समय हो गया है, आप बोल सकते है लेकिन ये अगर हर सेंटेंस में ऑब्जेकशन करेंगे तो यह समय और ज्यादा बढ़ता रहेगा। मैं हाथ जोडकर विनती करता हूं कि आप उनको भी थोड़ा रोकें तो मैं जल्दी से खत्म करूं।

The Indian Telegraph Act, 1985 regulates wiretapping and an order for wiretapping can be issued only by the Union Home Secretary or the Home Secretaries of States. However, wiretapping by Government agencies continues as numerous scandals in India bear witness to the snooping by agencies. The Indian Telegraph Act of 2000, India's first set of cyber laws, mentions privacy under Section 72—breach of confidentiality and privacy if a Government official passes an electronic data that has been received in his official capacity. It is now being realized that there is an urgent need to legislate for the protection of individual privacy.

मंत्री जी, यह पोर्शन भी सुन लें।

Now, there is an urgent need to legislate for the protection of individual privacy.

यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने कहा कि आवश्यकता नहीं है।

However, ensuring the right to privacy has a much wider connotation. It includes also the protection of personnel data and information. A good question would be to ask whether the law offers privacy protection to ordinary citizens with respect to his health records, tax records, bank records, criminal records, etc. In India, we are still to realise the intrusion to our privacy when we use credit cards.

इसके अलावा बातें तो बहुत है। मैं उतनी बातें नहीं बोलूंगा आप चिंता मत करें। मैं फटाफट बोलूंगा। एक केस आया ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट का। अभी-अभी पब्लिश हुआ था। किसी ऑफिसर के घर में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट पाए गए जो कि पंद्रह दिन पहले अखबारों में छप चुके थे। उस बेसिस पर ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट में अंबानी जी के घर पर, जिनकी अब मृत्यु भी हो चुकी है, जिन्होंने सारे हिंदुस्तान को बता दिया कि एक हिंदुस्तानी भी किस तरह से वेल्थ क्रीएट कर सकता है, जिसने करोड़ो आदमियों को करोडपति बना दिया। आज हिंदुस्तान का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है,जिस प्रोड्क्श्न के कारण हिंदुस्तान के लोगों को माल मिलता है, सामान मिलता है, उस आदमी के घर में .... मैं यह नहीं कहता कि लॉ के ऊपर कोई है, मैं यह नहीं बोलता लेकिन जिसके यहां लाखों आदमी काम करते है, उसके ऊपर एक नुमाइंदे के यहां अगर कोई कागज पकड़ा जाए तो इसका मतलब क्या है कि आप चेयरमैन के घर चले जाएं और उसको बोलें कि कोर्ट में वह पेश हो? ये बातें समझने की आवश्यकता है। यहीं, नहीं, हमारे कुछ साथियों ने यह भी क्लेम किया कि उनको तुरंत पोटा में अरेस्ट किया जाए। इसमे पोटा का चक्कर कहां से आ गया? इसलिए हमें भी थोड़ा रिस्ट्रेन करना पड़ेगा अपने आपको इस तरह की बातें कहने से पहले। साथ ही यदि ऑफिसर लोग इतनी आर्बिट्रेरिली काम कर रहे है तो मंत्री जी, आप कुछ न कुछ कीजिए।

ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट में हमारे वासी अख्तर जैदी,मोहम्द असलम, इन लोगों को भी पकड़ा कुछ नहीं निकला। मैं केवल उदाहरण के तौर पर फटाफट बोल रहा हूं। हमारे जिलानी साहब को भी कश्मीर में पकड़ा, कुछ नहीं निकला। अब केवल एक-दो बातें और बोलकर मैं समाप्त करूंगा।मैंने पांच मिनट में कहा था, मैं पाचं मिनट में खत्म कर दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. ए.के. पटेल) : अब से पांच मिनट पहले आपने कहा था

श्री संतोष बागडोदिया : बस एक-एक मिनट में बोल रहा हूं। जैसे मेरे साथियों ने बताया कि जब तक लॉ को हम एक दृष्टि से न देखें-एक आंख से देखना पड़ेगा सबको, अगर लालू प्रसाद जी ने कोई क्राइम किया है, कोई गलती की है तो उनके साथ कड़े से कड़ा काम हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें लेकिन अफसर होते हुए जिसके घर में अगर नारकोटिक्स जैसी चीज पाई जाए और यह भी नहीं कि कोई बीस तल्ले का मकान है, यह भी नहीं कि एक तल्ले में हुआ और बीस तल्ले में क्या हो रहा है, पता नहीं। दो तले का मकान, वह मकान आज दस हजार रूपए में भी कोई दे तो बहुत लोग इसे लेने के लिए तैयार है। उस मकान में अगर नारकोटिक्स जैसी चीज पकड़ी जाए और उस अफसर के साथ रियायत बरती जाए तो हिंदुस्तान में इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। कस्टोडियन का मैंने उदाहरण दिया कि पुलिस आफीसर एक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट को बुलाकर अपने आप उसकी कार्रवाई करना चाहता है और एक आदमी जिसके घर पर नारकोटिक्स

पकड़ा गया- आज अगर एक आदमी गाड़ी में स्मगलिगं करते हुए पकड़ा जाए तो गाड़ी के मालिक को नही पकड़ेगे। मंत्री जी, आप इस बारे मे ध्यान दें, अगर 300-400 केस एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर लगा दिए जाएं, इस तरह की ज्यादतियां होंगी तो मेरी समझ में हमारा हिंदुस्तान जो स्वतंत्र है, वह परतंत्र से भी बदतर हो जाएगा। इस तरह की ज्यादतियां होंगी तो जो हमारी कंट्री इंडिपेन्डेंट मानी जाती है, जिस पर हमें अभिमान है, सारी दुनिया में अभिमान है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कहीं पर किसी तरह की ज्यादती कहीं नहीं हो सकती, कोई पोलिटिकल वेंडेंटा नहीं होगा, पोलिटीकली अगर कोई पार्टी उसे बड़े पीसफुली टेक ओवर करती है, चाहे स्टेट में हो, चाहे दिल्ली में हो, कहीं भी हो,आज हो, कल हों, पहले हो, सब कुछ होता है, उस देश में अगर हम इस तरह का पोलिटिकल वेंडेंआ करेंगे तो उसे रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आवश्यकता है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्त्तव्य बनता है। यह कह देना कि लॉ एण्ड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है तब हम कहां जाए? हमारे विरोध में, हमारे ही प्रदेश मे अगर कोई एक्शन ले रहा है तो वह गलत है। तब सेंट्रल फेडरल सिस्टम किस बात का हुआ? अगर हमारे साथ ज्यादती हो रही है और दिल्ली सरकार हमें हैल्प न करे तो यह फेडरल सिस्टम किस वास्ते हुआ?इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मेरी बात थोड़ी शांति और थोड़ी अशांति से सुनी, मुझे कहने का मौका दिया- बातें बहुत है लेकिन मैं उन्हें चिट्ठी-पत्री से बता दूंगा, मेरा यह कहना है कि आप इसमें कुछ न करें। जो इतनी शिकायतें है,जिसके लिए पच्चीस-पच्चीस एम.पी. बोल है. उस शिकयत को आप ऐसे ही मत उड़ा दीजिए कि यह बहुत व्यापक है इसलिए इसमें किसी चेंज की आवश्यकता नहीं है। इसमें नहीं तो दूसरे लॉ में चेंज कीजिए। कुछ कीजिए, मेहरबानी होगी, आप ऑर्डिनरी सिटीजन का भला करेंगे और गवर्नमेंट का नाम करेंगे। धन्यवाद।

श्री संघ प्रिय गौतम : वैधानिक आपत्ति यह है कि आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 21 (ए) ऑलरेडी पास हो गया है, एबाउट एजुकेशन इसलिए यह हो ही नहीं सकता है। यह वैधानिक है। आर्टिकल 21 (ए) इज ऑलरेडी देअर।

श्री हरिन पाठक : उपसभाध्यक्ष जी, मैं पुनः माननीय सदस्य संतोष जी का आभारी हूं कि काफी व्यापक रूप में आपने इस विषय में अपने विचार रखे है। शुरूआत मे जब आपने वह बिल इंट्रोड्र्यूज किया था तब मैं यहां नहीं था। मुझ पर मंत्रिपरिषद में और जिम्मेदारी थी। मैं समझता हूं कि यह जो आपका मूल विषय है " वैयक्तिक एकांतता का अधिकार" यह विषय एक पुरा अलग विषय है और उससे उत्पन्न होने वाली या उससे संबंधित न हो, और हो, ऐसी कई सारी घटनाएं है, जिसका जिक्र हम सबने एक साथ मिलकर किया है। उससे इसका सीधा संबंध नहीं बनता है। आप आर्टिकल 21 को पढ़िए तो उससे भी कहा गया है कि "Article 21: Protection of life and personal liberty - No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law."

देश का बहुत बड़ा सविधान है। कस्टम, एक्साइज जैसे कई सारे कानून है। उस कानून के अंतर्गत अपराध होते रहते है। उस कानून के अंतर्गत धाराएं भी है। उस कानून के अंतर्गत विभिन्न जांच एजेंसियां काम करती है। मैं मानता हूं कि कई जगह पर कई जांच एजेंसियों मे कहीं कार्य-प्रणाली में अगर क्षति हो, अगर वे अपना कार्य ठीक तरह से न करें तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि मैं यह नहीं कहता कि कहीं न कहीं कोई कमजोरी नहीं है। मगर जो कमजोरी है वह कानून मे नहीं है, कमजोरी कहीं अगर हमें दीखती है,कई इंसीडेंट्स आपने बताएं है,कई माननीय सदस्यों ने बताएं है तो वह इंसीडेटल है। उस कार्य-प्रणाली में जो हमारी जांच एजेंसीज है,तलाश करने वाली, छापा मारने वाली, ये जो कानूनी एजेंसीज है उनको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। मैं यह जरूर कहता हूं और मैंने कहा है कि बार-बार जब ऐसी-ऐसी घटनाएं सरकार के ध्यान में आती है, तब सभी कानूनी एजेंसियों को सरकार ये दिशा-निर्देश देती रहती है कि आप ठीक तरह के कानून के अंतर्गत अपना कार्यकलाप करें। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा और मैने कहा भी था कि आवश्यकता पडने पर ये कानून की हमारी जो जांच एजेंसीज है वे सख्ती से अपने अधिकारों के अंतर्गत काम करें। वे जरूर उन्हें हम दिशा-निर्देश देंगे। सवाल एजेंसियों को सिर्फ दिशा-निर्देश देने का है कि वे ठीक तरह से बर्ताव करें ताकि जो आपने बताया कि ऐसी घटनाएं न बनें तो उन घटनाओं को रोकना है तो हमारी जो एजेंसीज काम करती है, उन्हें कानून के अंतर्गत काम करना चाहिए। **...(व्यवधान)..**

श्री संतोष बागडोदिया :आप सिर्फ एक सैंकड़ यील्ड कर दीजिए। ये जो एजेंसीज आप बोल रहे है उसमें खाली एक लॉ और बना दीजिए, अगर संभव है, कि कोई भी जगह पुलिस वाले या कोई भी एजेंसी वाले जाए तो वहां उस आदमी का राइट है कि वकील को बुलाकर वह भी समझे कि क्या लॉ है और एजेंसी वाले यह न बोलें कि क्या वकील को नहीं बुला सकते।

श्री हरिन पाठक : मैं इसलिए नही इस पर कह रहा हूं कि यह इसके साथ फिर जुड जाता है कस्टम एक्साइज और फाइनांस मिनिस्ट्री, उनको भी अपने विचार रखने पड़ेगे। मैं इस स्तर पर नहीं कह सकता कि कस्टम, एक्साइज़ में से अगर कोई रेड होगी तो उसके लिए कौन आदमी होगा। मैं व्यापक रूप से सरकार की ओर से से यह जरूर कहना चाहूंगा, कि जहां-जहां दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता है, हम बार-बार देते है इन विचारों को जान करके, इन उदाहरणो को ध्यान में रखते हुए और भी दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता होगी तो हम जरूर दिशा-निर्देश देंगे और अगर एक कंसेसस बना तो उस पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है।

THE VICE CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Mr. Bagrodia. are you willing to withdraw the Bill?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I am withdrawing the Bill so that the Government is not embarrassed.

THE VICE CHAIRMAN (DR. A.K.'PATEL): Has Shri Santosh Bagrodia the leave of the House to withdraw the Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn

THE NATIONAL COMMISSION FOR SAFE FOOD AND WATER BILL, 2003

***श्री खान गुफ़रान जाहिदी** (**उत्तर प्रदेश**): उपसभाध्यसक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं,

"कि नागरिक को सुरक्षित और स्वच्छ खाघ और जल उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय सुरक्षित खाघ और जल आयोग की स्थापना और तत्संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं बताना चाहूंगा कि यह बिल क्यों लाया गया और इसकी क्या वजह है, हमारे मुल्क में इस तरह का कमीशन क्यों बनाया जाए। मेरे ख्याल से गौतम साहब आप बड़े गौर से सुन रहे होगे। ....(**व्यवधान**).. उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बिल, यह कमीशन का फॉर्मेशन, क्यों इस मुल्क में जरूरी है, मैं इस बात को कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे बुनियाद बात यह है कि "सेफ फूड टू आल सिटिजंस" यह एंश्योर करना हमारा काम है। हम देखते है कि आज का सीन क्या है। हमारे पास फूड एडल्ट्रेशन एक्ट,1998 था। इस एक्ट के अंतर्गत हिंदुस्तान में कितनी जगहों पर कितने केसेज हुए, यह रैटीफाई करने के बाद स्टेट का सब्जैक्ट बन गया। कितने केसेज हुए और खाना अगर स्वच्छ नहीं है, अगर पानी स्वच्छ नहीं है,जिसे आब-ए-हयात कहा जाता है, अमृत जल कहा जाता है, तो फिर कैसे हमारे मुल्क के आम शहरियों की, नागरिकों की सेहत ठीक होगी, कैसे हमारे फौजियों की सेहत अच्छी रहेगी, कैसे हमारे बच्चो की सेहत अच्छी रहेगी, आज इसका सवाल है?

वाइस चेयरमैन साहब, अगर मुल्क के लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहेंगा। यहां राइट ऑफ लाइफ तो है, लेकिन राइट ऑफ लाइफ तो है, लेकिन राइट ऑफ हैल्दी लाइफ भी होनी चाहिए। अगर आप यह करना चाहते है, अगर इसे बुनियादी बात बनाना चाहते है तो कमीशन का फॉर्मेशन बहुत जरूरी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेशा पचौरी) पीठासीन हुए

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सूरत-ए-हाल यह है कि जिस जगह के भी टेप वाटर को चैक कर लिया जाय, वह पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा। आज तो डिस्टल्ड वाटर की बोतलों में भी पेस्टीसाइड्स मिल रहे है जिन्हें बाजार में 6 से12 रूपए में बेचा जा रहा है। अब सारे मुल्क के टैपों से निकलने

*Urdu script will follow.